

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 460/2026
अनवान : -

1. मोहित पुत्र पालासिंह जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. पालसिंह पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. ज्योति पुत्री पालासिंह जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त०

अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 10/06/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 13 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता सं० 84/84 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के खाता सं० 189/189 की कुल 0.506 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं० 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी सं० 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी सं० 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं० 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादी सं० 2 का प्रतिवादी सं० 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी सं० 1 वादी का पिता है एवं प्रतिवादी सं० 2 वादी की बहिन है। प्रतिवादी सं० 1 ता 2 ने उक्त भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि वादी अकेला काबिज है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक

उपखण्ड अधिकारी
नोहर
Rahul

अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादी स0 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 वादी का पिता है एवं प्रतिवादी स0 2 वादी की बहिन है। प्रतिवादी स0 1 ता 2 ने उक्त भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि वादी अकेला काबिज है। प्रतिवादी स0 1 ता 2 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 13 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता स0 84/84 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 189/189 की कुल 0.506 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादी स0 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 वादी का पिता है एवं प्रतिवादी स0 2 वादी की बहिन है। प्रतिवादी स0 1 ता 2 ने उक्त भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि वादी अकेला काबिज है। वादी इसी

Lahul
उपसह अधिकारी
नोहर

अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स० 1 ता 2 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 13 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता स० 84/84 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स० 189/189 की कुल 0.506 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स० 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त दोनो खातों में प्रतिवादी स० 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक10/06/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 460/2026

अनवान : -

1. मोहित पुत्र पालासिंह जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. पालसिंह पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. ज्योति पुत्री पालासिंह जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 460 सन 2026 निर्णय दिनांक 10/06/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री भरतसिंह बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 13 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता स0 84/84 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 189/181 की कुल 0.506 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त दोनो खातों में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर